



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 जेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 259 राँची, शुक्रवार,

12 जून, 2020 (ई०)

विधि विभाग

अधिसूचना

12 जून, 2020

एस० ओ०-26-दिनांक-12 जून, 2020-- बंगाल, आगरा एवं असम व्यवहार न्यायालय अधिनियम, 1887 (अधिनियम-XII वर्ष-1887) की धारा-13 की उपधारा (1) एवं धारा-14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस विषय पर निर्गत सभी पूर्व अधिसूचनाओं एवं आदेशों का उपान्तरण करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल निर्देश देते हैं कि:-

- (क) हजारीबाग जिलान्तर्गत बरही अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी का 02 (दो) न्यायालय स्थापित किया जायेगा ;
- (ख) बरही अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी के उपरोक्त 02 न्यायालयों की अधिकारिता हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल की सम्पूर्ण स्थानीय सीमाएँ होंगी ;
- (ग) बरही अनुमंडल में न्यायिक दंडाधिकारी के उपरोक्त 02 न्यायालय बरही में बैठेंगे एवं आधारभूत संरचना उपलब्ध होने तक हजारीबाग में बैठेंगे ;

(घ) यह अधिसूचना तात्कालिक रूप से प्रभावी होगा।

(बी0/विधि-कोर्ट गठन-08/2017-904/जे0)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी।

विधि विभाग

अधिसूचना

12 जून, 2020

एस० ओ०-26-दिनांक-12 जून, 2020-- निम्नांकित अंग्रेजी भाषानुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा अंकित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(बी0/विधि-कोर्ट गठन-08/2017-904/जे0)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी।

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

12th June, 2020

S.O.-26- dated-12th June, 2020-- In exercise of powers conferred by the Sub-section (1) of Section-13 and Sub-Section (1) of Section-14 of the Bengal, Agra and Assam Civil Courts Act 1887 (Act XII of 1887) and in modification of all the previous notifications and orders issued on the subject, the Governor of Jharkhand is pleased to direct that:-

- (a) 02 (Two) Courts of Judicial Magistrate shall be established at Barhi Sub-Division in Hazaribagh District;

- (b) The Jurisdictions of the above said 02 Courts of Judicial Magistrate of Barhi Sub-Division shall extend to the entire local limits of the Sub-Division of Barhi;
- (c) The above said 02 Courts of Judicial Magistrate of Barhi Sub-Division shall hold their sittings at Barhi after creation of the infrastructure and till then they shall be sitting at Hazaribagh;
- (d) This Notification shall come in effect with immediate effect.

(File No.- A/CC-1/2000-904 /J)

By the order of Governor of Jharkhand

Pradeep Kumar Srivastava

Principal Secretary-cum-L.R.

Law Department, Govt. of Jharkhand
